

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनात्तर्गत डाक व्यव्य की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107अ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2010—माघ 7, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ. ए. 3-41-2009-1-पांच-(35).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के संबंध में, सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट मात्रा या माप के आधार पर विक्रय या क्रय पर देय कर की राशि उत्तर सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत करती है:—
सारणी

माल का वर्ग (1)	कर की राशि (2)	निबंधन तथा शर्तें (3)
1. रेत	रुपये 20/- प्रति घन मीटर	1. मध्यप्रदेश राज्य के भीतर माल के विक्रय या क्रय पर कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट कर देय होगा.
2. गिट्टी	रुपये 20/- प्रति घन मीटर	2. मध्यप्रदेश वेट नियम, 2008 के अधीन यथा विहित प्ररूप 10 में विवरणी, यथावश्यक परिवर्तन सहित कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को लागू होगी.
3. फर्शी पत्थर/नीमच स्टोन (परिष्कृत)	रुपये 1/- प्रति वर्ग फीट	3. अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए कुल राशि (टर्नओवर) कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट मात्रा या माप के आधार पर संगणित कर की राशि के बीस गुणा के बराबर होगी.
4. फर्शी पत्थर/नीमच स्टोन (अपरिष्कृत)	पैसे 50 प्रति वर्ग फीट	
5. फर्शी पत्थर/नीमच स्टोन (परिष्कृत) जो कि ऐसे अपरिष्कृत फर्शी पत्थर/ नीमच स्टोन से मिर्जित है, जिस पर इस अधिसूचना के अधीन कर लगाया जा चुका हो.	पैसे 50 प्रति वर्ग फीट	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. ए-3-41-2009-1-पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-41-2009-1-पांच (35), दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 27th January 2010

F. No. A-3-41-2009-1-V (35).—In exercise of the powers conferred by Section 9-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, fix, in respect of the class of goods specified in column (1) of the table below, the Amount of Tax payable on the sale or purchase on the basis of volume or measurement as specified in column (2), subject to the terms and conditions specified in column (3) of the said table:—

TABLE

Class of goods (1)	Amount of Tax (2)	Terms and conditions (3)
1. Sand	Rupees 20/- per Cubic Metre.	1. The tax as specified in column (2) shall be payable on the sale or purchase of the goods inside the State of Madhya Pradesh.
2. Gitti	Rupees 20/- per Cubic Metre.	
3. Flooring stone/Neemuch stone (finished)	Rupees 1/- per square feet	2. The return in Form 10 as prescribed under the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall mutatis mutandis apply to the registered dealer selling the goods specified in column (1).
4. Flooring stone/Neemuch stone (unfinished)	Paise 50 per square feet	
5. Flooring stone/Neemuch stone (finished) which is manufactured from such unfinished flooring stone/Neemuch stone which has been subjected to tax under this notification.	Paise 50 per square feet	3. For the purpose of sub-section (2) of Section 5 of the Act, the turnover shall be equal to twenty times the amount of tax calculated on the basis of volume or measurement as specified in column (2).

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.